दि[redacted]2022

तारांकित प्रश्न 821 **कार्यालय परिवहन आयुक्त, मध्यप्रदेश, ग्वालियर** परिशिष्ट - अ

प्रश्न सं. [क्र. 821]

क्रमांक /3113/ नीति / टीसी / 2022 ग्वालियर, दिनांक 08/07/2022

प्रति,

क्षेत्रीय परिवहन अधिकारी/
अतिरिक्त क्षेत्रीय परिवहन अधिकारी/
जिला परिवहन अधिकारी,
....................(समस्त), म.प्र.

विषयः— माननीय सर्वोच्च न्यायालय, भारत द्वारा W.P(c) 13029/1985 श्री एम.सी.मेहता विरूद्ध यूनियन ऑफ इण्डिया में जारी गाइड लाइन के अनुसार स्कूल बसों का संचालन सुनिश्चित करने हेतु।

उपरोक्त विषयांतर्गत लेख है कि याचिका क्रमांक WP(c) 13029/1985 में विचारण के दौरान माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा 16 दिसम्बर 1997 को विस्तृत निर्देश देते हुये स्कूली बच्चों की बसों में उनके सुरक्षित आवागमन हेतु विस्तृत मार्गदर्शी गाइड लाइन्स जारी की गयी थी, जिसमें परिवहन एवं पुलिस विभाग से उक्त निर्देशों का परिपालन कराने के निर्देश भी दिये गये हैं।

2. माननीय सर्वोच्च न्यायालय में याचिका क्रमांक WP(c) 13029/1985 में दिनांक 16.12.1997 को पारित आदेश के अनुक्रम में केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड (CBSE) ने भी अपने परिपत्र क्रमांक CBSE/AFF./Circular-8/2017/1217401 दिनांक 23.02.2017 जारी करते हुये माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा निर्देशित मापदण्डों का पालन सुनिश्चित किये जाने हेतु केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड से संबंधित समस्त प्राचार्यों एवं डायरेक्टर, सेकेन्ड्री एजूकेशन डिपार्टमेंट के समस्त प्रदेशो को भी उक्त निर्देशो का परिपालन करने के निर्देश दिये थे। इसी प्रकार इस विषय में माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा पारित निर्देशों के अनुक्रम में माननीय राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग ने भी स्कूली बसों में बच्चों/विद्यार्थियों के सुरक्षित परिवहन पर गंभीरतापूर्वक विचार करने के निर्देश दिये है।

3. यदि माननीय सर्वोच्च न्यायालय एवं उसके अनुसरण/अनुक्रम में केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के जारी परिपत्र एवं अन्य संस्थाओं के निर्देशो का अवलोकन करें तो स्कूल बसों के संबंध में निम्नलिखित मापदण्ड सुनिश्चित किया जाना आवश्यक परिलक्षित होता है :—

1. स्कूल बस का रंग पीला होना चाहिये।
2. स्कूल बस के अग्र एवं पृष्ठ भाग पर "स्कूल बस" लिखा होना चाहिये। यदि अनुबंधित बस हो तो सवारी बस पर "ऑन स्कूल ड्यूटी" लिखा होना चाहिये।
3. स्कूल बस में प्राथमिक उपचार के लिये फर्स्ट एड बॉक्स होना अनिवार्य है।
4. स्कूल बस में निर्धारित मानक के अनुसार गति नियंत्रक यंत्र (एस.एल.डी.) होना आवश्यक है।
5. स्कूल बसों में खिड़कियों पर समानांतर (हॉरिजोन्टल) ग्रिल्स होना अनिवार्य है।
6. स्कूल बस में अग्निशमन यंत्र की सुविधा होना चाहिये।
7. स्कूल बस में स्कूल का नाम एवं दूरभाष क्रमांक अंकित हो ।
8. स्कूल बस में प्रवेश एवं निर्गम हेतु पृथक-पृथक दो दरवाजे होना चाहिये।
9. स्कूल बस के दरवाजों पर लगे लॉक एवं ऑटोमेटिक स्थिति में हो।

निरंतर 2

Scanned with CamScanner

10. स्कूल बस में शिक्षित / प्रशिक्षित परिचालक हो।
11. किसी भी शिक्षक अथवा पालक को बस में सुरक्षा का अवलोकन करने की दृष्टि से जाने की सुविधा हो।
12. स्कूल बस के चालक के पास कम से कम पाँच वर्ष का अनुभव भारी वाहन चलाने का हो।
13. स्कूल बस में सीटों के नीचे बस्तों की सुरक्षा हेतु अलग से स्थान हो।
14. स्कूल बस पर ऐसा चालक नहीं रखा जावे जिस पर एक वर्ष में दो बार से अधिक लालबत्ती (red light) सिग्नल के उल्लंघन,लेन अनुशासन भंग करने पर अर्थदण्ड / शास्ति अधिरोपित हुई हो ।
15. स्कूल बस में ऐसा चालक न रखा जावे जिस पर निर्धारित गति सीमा से वाहन चलाने,शराब पीकर वाहन चलाने या खतरनाक ढंग से वाहन चलाने के लिये एक वर्ष में एक बार भी अर्थदण्ड / शास्ति अधिरोपित हुई हो।
16. स्कूल बसों में GPS सिस्टम एवम CCTV कैमरे लगाना अनिवार्य है।
17. जिन स्कूल बसो में छात्रायें होती हैं वहाँ पर एक शिक्षित परिचालिका / स्कूल स्टॉफ होना चाहिये।
18. स्कूल संचालकों द्वारा एक ट्रांसपोर्टर मैनेजर की नियुक्ति होना चाहिये जो बच्चों की सुरक्षा हेतु उत्तरदायी हो।

4. उक्त निर्देशों का पालन सुनिश्चित करने के उद्देश्य से दिनांक 18.07.2022 को सभी स्कूल बस संचालक / ट्रांसपोर्ट मैनेजर की बैठक लेकर उनको स्कूल बसों में उपरोक्तानुसार सुविधायें सुनिश्चित करने परामर्श / निर्देश दें । तत्पश्चात 18.07.2022 के बाद स्कूल वाहनों की चेकिंग कर यह सुनिश्चित करें कि स्कूल बसों में उपरोक्तानुसार निर्देशों का पालन हो रहा है अथवा नहीं। निर्देशों का पालन नही करने पर संबंधित स्कूल बस के विरूद्ध विधि सम्मत कार्यवाही सुनिश्चित करें।

(मुकेश जैन)
परिवहन आयुक्त,
मध्यप्रदेश

पृष्ठां. क्रमांक / 3338 / नीति / टीसी / 2022 ग्वालियर, दिनांक 08.07.2022

प्रतिलिपिः–

1. प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन परिवहन विभाग, मंत्रालय वल्लभ भवन भोपाल की ओर सूचनार्थ।
2. विशेष सहायक, माननीय परिवहन मंत्री, मध्यप्रदेश शासन परिवहन विभाग, मंत्रालय वल्लभ भवन भोपाल की ओर सूचनार्थ।
3. अपर परिवहन आयुक्त (प्रवर्तन) मध्यप्रदेश, मुख्यालय ग्वालियर की ओर सूचनार्थ।
4. संयुक्त परिवहन आयुक्त (प्रशा. / वित्त) मध्यप्रदेश, मुख्यालय ग्वालियर की ओर सूचनार्थ।
5. उप परिवहन आयुक्त (शिकायत) मध्यप्रदेश, मुख्यालय ग्वालियर की ओर सूचनार्थ।
6. क्षेत्रीय उप परिवहन आयुक्त, समस्त संभाग मध्यप्रदेश की ओर सूचनार्थ।
7. प्रभारी संभागीय सुरक्षा स्क्वॉड समस्त, मध्यप्रदेश की ओर सूचनार्थ।
8. कार्यालय अधीक्षक / प्रभारी नीति शाखा, मुख्यालय ग्वालियर की ओर सूचनार्थ।

परिवहन आयुक्त,
मध्यप्रदेश

Scan with Fast Scan